प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 27.06.2026

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.06.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी मुकेश पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी अक्षरधाम कॉलोनी जनपद मेरठ ने तहरीर दी कि वादी ने ग्राम रौरी तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के खसरा संख्या 922, 923 ,924 की भूमि अपनी एक फर्म के नाम से क्रय की हुई है जिस पर प्रार्थी व उसके अन्य पार्टनर काबिज हैं। प्रार्थी की भूमि पर जाने का रास्ता मंगल विहार कॉलोनी हापुड रोड से होकर जाता है जो कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार एक सार्वजनिक रास्ता है। उक्त कॉलोनी में रहने वाले दबंग व्यक्ति प्रवीण पुनिया व अन्य के द्वारा वादी की भूमि पर कार्य करने वाले मजदूरो के साथ गाली गलौज करना, वादी को केस में फंसाने की धमकी देना, रास्ते की साफ सफाई के नाम पर 01 लाख रुपये ले लेना व रास्ते को अवरुद्ध कर 2.5 करोड रुपये की अनुचित मांग करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 191(2)/308(5)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.06.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रवीण पुनिया पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद हालपता- मंगल विहार कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मंगल विहार कॉलोनी में रहता हूं। मंगल विहार कॉलोनी के पीछे वादी की फर्म की जमीन है जिसका रास्ता मंगल विहार कॉलोनी से होकर जाता है। वादी को मंगल विहार कॉलोनी से रास्ता देने के लिये मेरे द्वारा वादी से 2.5 करोड रुपये की रंगदारी की मांग की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

प्रवीण पुनिया पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, हालपता मंगल विहार कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर के अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना, लोकल इनपुट के आधार पर मु0अ0सं0 0084/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त दीपक को वीपी क्रिकेट ग्राउण्ड के पास खेतों में बनी झुग्गी झोपडी थाना इकोटेक ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1. दीपक पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी वर्तमान पता गुलधर फाटक के पास सै0- 23 संजय नगर थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, स्थायी पता गाँव अलापुर थाना अलापुर ककराला जिला बदायूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानीगेट व थाना नन्दग्राम पर वाहन चोरी के 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद